न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान भोपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 140/2025
निर्णय दिनांक 05-06-2025

भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी मोतीसिंह तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 49 खसरा सं. 114 तादादी 4.2614 हैक्ट., ख0न0 3 तादादी 5.1086 हैक्ट., ख0न0 5 तादादी 0.1517 हैक्ट., ख0न0 56 तादादी 11.7219 हैक्ट., ख0न0 58 तादादी 15.9833 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा ढाणी मोतीसिंह पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह की जगह गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में सही नाम भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमावन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 49 खसरा सं. 114 तादादी 4.2614 हैक्ट., ख0न0 3 तादादी 5.1086 हैक्ट., ख0न0 5 तादादी 0.1517 हैक्ट., ख0न0 56 तादादी 11.7219 हैक्ट., ख0न0 58 तादादी 15.9833 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह व गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का नाम भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपालसिंह पुत्र जगमलासिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी मोतीसिंह पटवार हल्का हड़ियाल तहसील तारानगर के खाता संख्या 49 खसरा सं. 114 तादादी 4.2614 हैक्ट., ख0न0 3 तादादी 5.1086 हैक्ट., ख0न0 5 तादादी 0.1517 हैक्ट., ख0न0 56 तादादी 11.7219 हैक्ट., ख0न0 58 तादादी 15.9833 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीनी का नाम **गोपालसिंह पुत्र जगमलासिंह Delete** कर इसके स्थान पर **भोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-06-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)